

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/५४/२०१७/एफ०सी०/१२५३

दिनांक: 23/10/2017

सेवा में,
✓ सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : Diversion of 25.825 ha (surface forest land – 7.977 ha and underground forest land-17.848 ha) of forest land for construction of tunnel at Silkyara Band from Km. 24.300 to Km. 51.900 on NH-134 (Dharasu-Yamunotri Road) (Chardham Rajmarg Vikas Pariyojna) in favour of National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited within the jurisdiction of Uttarkashi & Upper Yamuna Forest Division in Uttarkashi District of Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/26823/2017).

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/26823/2017 एवं संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 496/X-4-17/1(60)/2017 दिनांक 13.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/26823/2017 एवं संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारीयां/ दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 23.09.2017 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार Diversion of 25.825 ha (surface forest land – 7.977 ha and underground forest land-17.848 ha) of forest land for construction of tunnel at Silkyara Band from Km. 24.300 to Km. 51.900 on NH-134 (Dharasu-Yamunotri Road) (Chardham Rajmarg Vikas Pariyojna) in favour of National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited within the jurisdiction of Uttarkashi & Upper Yamuna Forest Division in Uttarkashi District of Uttarakhand हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 7.977 ha surface forest land के सापेक्ष दुगने अवनत आरक्षित वन क्षेत्र 16.00 है० (7.00 ha Bibhradi Comptt. No. 7A in Upper Yamuna Forest Division & 9.116 ha Junga in Section Dharasu in Uttarkashi Forest Division) पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होना है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित की जाए।

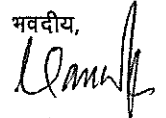
5. सड़क निर्माण एवं उपचार कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों, Central Verge एवं परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide revised NPV calculation for surface forest area and underground forest area separately applying correct NPV rates according to density in respect of both the Forest Divisions.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

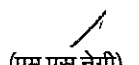
1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों, Central Verge एवं परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 556 (360 in Upper Yamuna FD & 196 in Uttarkashi FD) से अधिक न हो।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

 (एम.एस.नेगी)
 वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।


 (एम.एस.नेगी)
 वन संरक्षक